उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2-1042/ग्यारह–9(29)/14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(137)–2015
लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 01 अगस्त, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, कम संख्या–43 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
43	पतंग, मांझा एवं पतंग उड़ाने की चर्खी ; **बांस की तीली (फट्टी)**

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या–13 की प्रविष्टि में शब्द "**बांस की तीली (फट्टी)**" को विलोपित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।